[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 04/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2021

सा. का. नि. .... (अ)- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 20) की धारा 147 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सं. 28/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 13 मई, 2002, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) सं. सा.का.नि. 361(अ), तारीख 13 मई, 2002 में प्रकाशित की गई थी, की अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में,

(i) क्रम सं. 3, 4 और 5 के सामने, स्तंभ (2) के स्पष्टीकरण 1 में, शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्टक और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"समुचित उत्पाद शुल्क से तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट की अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त विधेयक, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उदग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, अभिप्रेत है;

(ii) क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"4क.	20% एथेनाल सम्मिश्रित पट्रोल है जो ऐसा सम्मिश्र है,- (क) जो 80% मोटर स्प्रिट (सामान्यतः पट्रोल के रूप में ज्ञात) जिसपर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और 20% एथेनाल, जिसपर यथास्थिति समुचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा ; और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 17021 के अनुरुप है । स्पष्टीकरण -- (क) समुचित उत्पाद शुल्क से तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट की अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त विधेयक, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उदग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर	शून्य

	संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, अभिप्रेत है; (ख) समुचित केन्द्रीय कर, विक्रय कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 2017) का (12, संबद्ध राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, (14 का 2017) 2017 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, (13 का 2017) 2017 के अधीन उद्ग्रहणीय केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर अभिप्रेत होगा ।	
4ख.	जो 15% मेथनाल सम्मिश्रित पट्रोल है जो ऐसा सम्मिश्र है,- (क) जो मोटर स्प्रिट (सामान्यतः पट्रोल के रूप में ज्ञात) जिसपर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और मेथनाल और सह-विलायक, जिसपर यथास्थिति समुचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है, के परिणाम द्वारा मिलकर बनेगा; और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन आईएस 17076 के अनुरुप है । स्पष्टीकरण -- (क) समुचित उत्पाद शुल्क से तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट की अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त विधेयक, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उदग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, अभिप्रेत है; (ख) समुचित केन्द्रीय कर, विक्रय कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 2017) का (12, संबद्ध राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, (14 का 2017) 2017 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, (13 का 2017) 2017 के अधीन उद्ग्रहणीय केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर अभिप्रेत होगा ।	शून्य"

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/02/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 28/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 13 मई, 2002 संख्यांक सा.का.नि. 361(अ) तारीख 13 मई, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 20/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 3 जुलाई, 2017 द्वारा संख्यांक सा.का.नि 823(अ) तारीख 3 जुलाई, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।